

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 201/2021

शौकत अली, पता 23, 10-ए स्कीम, सैनिक मार्ग, रघुनाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर (राज0)
पिनकोड 302012, मो0न0 9829258734

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी।


सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 11.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 201/2021 पर दिनांक 22.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3149-50 दिनांक 23.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक निर्वा/सूचना/2021/1631 दिनांक 01.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शौकत अली द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2021 में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वा/सूचना/2021/696 दिनांक 02.08.2021 द्वारा सूचना से संबंधित पृष्ठों की संख्या व जमा कराये जाने वाले शुल्क के बारे में सूचना दी जा चुकी है। उसके पश्चात् आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराने का चालान इस कार्यालय को आदिनांक तक जमा नहीं करवाया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी के पत्रांक निर्वा/सूचना/2021/1631 दिनांक 01.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शौकत अली द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2021 में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वा/सूचना/2021/696 दिनांक 02.08.2021 द्वारा सूचना से संबंधित पृष्ठों की संख्या व जमा कराये जाने वाले शुल्क के बारे में सूचना दी जा चुकी है। उसके पश्चात् आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराने का चालान इस कार्यालय को आदिनांक तक जमा नहीं करवाया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू